मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ।

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्या-डीजी परिपत्र सं0-24

दिनॉकः लखनऊः मई 29, 2013

सेवा में,

1. समस्त पुलिस महानिरीक्षक,जोन्स/रेलवे, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र/रेलवे, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवे, उ0प्र0

समय-समय पर भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कानून बनाये जाते हैं तथा मा0 न्यायालयों द्वारा जो व्यवस्थायें दी जाती है उनकी जानकारी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को न होने के कारण विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा जन सामान्यं को उनके अधिकारों के सम्बन्ध में त्वरित न्याय नहीं मिल पाता है। कानून के प्रति जानकारी रखना सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व है कि जो भी नये कानून आयें तथा जिनका पुलिस की कार्य प्रणाली में व्यवहारिक उपयोग हैं उनकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिये ।

2. वर्तमान में भारत सरकार द्वारा क्रिमिनल ला एमेन्डमेन्ट एक्ट 2013 दिनॉक 3.2.2013 से लागू किया गया है, के द्वारा भा0द0वि0 की धारा 166 में 166ए जोड़ा गया है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि जो भी शासनादेश/परिपत्र प्रेषित किये जायें तथा जो भी नये कानून बनें उनकी प्रतियॉ अपने अधीनस्थों को उपलब्ध करायें तथा उनका व्यापक प्रचार प्रसार कराकर प्रत्येक गोष्ठी में कुछ समय निकालकर विधिक चर्चा करें । इस कार्य में आप जनपदीय/परिक्षेत्रीय अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में परिपत्र संख्या-22/2013 दिनॉक 25.5.2013 द्वारा विस्तृत निर्देश पूर्व में निर्गत किये जा चुके हैं ।

3. स्पष्ट किया जाता है कि कानून की जानकारी न होने पर जनपद के पुलिस अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक तथा थानाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे ।

(देवराज नागर) 29-5-12

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश ।